कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल–25 रामगंगा विहार–प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद दूरभाष संख्या–0591–2450066)

पत्रांक 982 / 14-1 दिनांक मुरादाबाद अगस्त 31 2018

सेवा में,

प्रादेशिक प्रबन्धक रिटेल
बी0पी0सी0एल0,
आदू का मकबरा,कैसरगंज,
मेरठ।

विषय– मुरादाबाद में बन्दौसी (एन0एच0–93)कि0मी0 222.036 की बॉयी पटरी पर ग्राम बकफाजलपुर के खसरा सं0–82 मे बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1545573 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सदर्भ– उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–पी–144 / 14–2–2018–800(132) / 2018 दि0 30–08–2018

महोदय,

उपरोक्त सदर्भित पत्र **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करें। इस संबन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मे उ0प्र0 शासन के उक्त सदर्भित पत्र दि0 30–08–2018 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 30 तक के संबन्ध मे मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2501 / 11 सी0 दिनांक24–05–2016 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन सरक्षक एव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ की पत्र सं0–384 / 2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दि0 14–09–2015 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये निर्देशानुसार वाछित अभिलेख **(4 प्रतियॉ मूल में)** तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि इस सबन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके–

(1) वन भूमि के एक्सीलेशन / डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यकता एव निकास / प्रवेश भारत सरकार के सडक परिवहन एव राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईडलाइन्स दि0 24–7–2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले–आउट प्लान के आधार पर होगा।

(2) सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुँचाये उपयुक्त साइन एव मार्किंग लगाया जाय, जिसमे फयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।

(3) फयूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1X1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फयूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।

(4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एव अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो) के अतिरिक्त होगा।

(5) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल किसी दशा में 0.1545573 है0 से अधिक नही होगा।

(6) इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।

(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एव भारत सरकार के पत्र सख्या–5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत् दिये गये आदशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के अनुसार निर्धारित धनराशि रू0 (0.1545573 है0 दर प्रति है0 रू0 6,26,000 / –) **96753 / –** की धनराशि का भुगतान ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से मुख्य वन सरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा लखनऊ के पत्रांक–943 / 2–37–2(ई–पेमेन्ट पोर्टल) दिनांक 08–12–2017 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये निर्देशानुसार **एड्हॉक कैम्पा ,नई दिल्ली** के नाम देय हो, की पावती रसीद इस कार्यालय में जमा करनी होगा।
तदुपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की धराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0,क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाय,तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(8) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में आनलाइन ई–पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा कराया जायेगा।

क्रमशः– 2 – पर

(9) वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा।

(10) नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेगा।

(11) प्रस्ताव विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति), फौना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगा, अत प्रस्ताव विभाग फलारा/फॉना के सरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(12) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग मे कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(13) प्रस्तावक विभाग के सबन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियो के अधीन या उनसे संबन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(14) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग मे प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(15) भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी(पीटी), दिनाक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-जे-11013/41/2006-आई0ए0 II(I), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(16) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एव वन मंत्रालय लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों/शर्तो, जो वनो के सरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(17) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(18) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की ए0पी0वी0 सशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(19) प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(20) संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वन भूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।

(21) प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।

(22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(24) इस संबन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 11-7-2014 व 21-8-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(25) पर्यावरण एव वन मत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफसी, दि0 8-7-2011 मे दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (चि) फाइल में दर्शाया गया हो।

(26) प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या-एफ0एन0 सख्या-11-268/2014 एफसी, दि0 11-7-2014 में नये दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।

क्रमश- 3- पर

(27) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 27500/– का भुगतान ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा लखनऊ के पत्रांक–943/2–37–2(ई–पेमेन्ट पोर्टल) दिनांक 08–12–2017 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये निर्देशानुसार **एडहॉक कैम्पा ,नई दिल्ली** के नाम देय हो, की पावती रसीद इस कार्यालय में जमा करनी होगा

(28) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(29) दो या दो से अधिक रिटेल आउटलेट का निर्माण अत्यत निकट अथवा बगल में किया जाता है। तो इन आउट लेटस के लिये निकास मार्ग एक ही होगा। (if 2 or more feul station s are to be constructed in close proximity or adjacent to each other for some reasons,a common access and exit shall be provided)

(30) उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदुपरान्त सुसंगत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या निर्धारित प्रपत्र में एवं वांछित अभिलेख **4 प्रतियों मूल** में अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3– लेखा लिपिक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।
4– क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिलारी।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद।